F. No.1-12/2026/146566- Legal

कार्यालय / Office

लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली

Lal Bahadur Shastri Paramedical Skill and Training Council, New Delhi

विधिक एवं मान्यता अनुभाग / Legal and Affiliation Department

वेबसाइट / www.lbspstc.com

****

दिनांक / Dated: 27.03.2026

प्रति,

निदेशक / अध्यक्ष महोदय,
जयदीप नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट,
1225, नियर प्लास्टिक कंपनी, पेराने फाटा,
पुणे – 412216 (महाराष्ट्र)

विषयः– दिनांक 21/03/2026 के परिप्रेक्ष्य में–संस्था जयदीप नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट, सेंटर कोडः– 0153 की संबद्धता का, नियमों के उल्लंघन एवं अनुपालन–विफलता के आधार पर, तत्काल प्रभाव से विधिवत् समापन तथा संस्था द्वारा नाम–परिवर्तन, नवीन प्राधिकरण पत्र एवं शुल्क–रियायत हेतु प्रस्तुत अनुरोध की विधिक आधार पर अस्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

सादर निवेदन है कि आपके संस्थान द्वारा प्रेषित पत्र **दिनांक 21/03/2026** इस परिषद को विधिवत् प्राप्त हुआ, जिसका अवलोकन सम्यक् रूप से किया गया। उक्त पत्र के माध्यम से आपने अपनी संस्था के नाम एवं पते में परिवर्तन, नवीन प्राधिकरण पत्र के निर्गमन तथा प्रचलित शुल्क ढांचे में रियायत प्रदान किए जाने का अनुरोध किया है। इस परिषद द्वारा उक्त पत्र एवं उसमें उल्लिखित तथ्यों का गहनतापूर्वक परीक्षण किया गया तथा परिषद के समस्त सुसंगत अभिलेखों का सावधानीपूर्वक अनुशीलन किया गया। तदनुसार, परिषद की सक्षम प्राधिकारिणी द्वारा निम्नलिखित तथ्य एवं निष्कर्ष आपके संज्ञान में लाना आवश्यक समझा गया है:–

1. परिषद के अभिलेखों से यह सुस्पष्ट है कि आपकी संस्था, जो तत्समय **जयदीप नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट** के नाम से पंजीकृत थी, को इस परिषद द्वारा दिनांक **12 अक्टूबर 2023** को विधिवत् सम्बद्धता प्रदान की गई थी। उक्त सम्बद्धता एक विश्वास

सचिव / Secretary
लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद
Lal Bahadur Shastri Paramedical Skill and Training Council

सत्य प्रतिलिपि / Verified Copy
परीक्षा नियंत्रक / Controller of Examination
लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद
Lal Bahadur Shastri Paramedical Skill And Training Council
भारत / India - फोन नं० 4349311 / Ph. No. 4349311

एवं दायित्व–बोध के आधार पर प्रदान की गई थी, जिसके अंतर्गत संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह परिषद के नियमों, शर्तों एवं निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन करेगी।

2. परिषद के समस्त सुसंगत अभिलेखों के सूक्ष्म परीक्षण एवं अनुशीलन से यह तथ्य निर्विवाद रूप से प्रमाणित होता है कि सम्बद्धता प्रदान किए जाने की तिथि **दिनांक 12 अक्टूबर 2023** से लेकर आज पर्यन्त की समस्त अवधि में, आपकी संस्था द्वारा एक भी छात्र का नामांकन अथवा प्रवेश नहीं कराया गया है। यह स्थिति परिषद की मूल भावना एवं सम्बद्धता के उद्देश्य के सर्वथा विपरीत है तथा संस्था की निष्क्रियता एवं उदासीनता को स्पष्टतः परिलक्षित करती है।

3. इससे भी अधिक गंभीर यह है कि आपकी संस्था द्वारा परिषद के नियमों के अंतर्गत अनिवार्य रूप से देय वार्षिक सम्बद्धता नवीनीकरण भी नियत समय–सीमा के भीतर नहीं कराया गया। यह चूक न केवल परिषद के विनियमों का घोर उल्लंघन है, अपितु यह संस्था की ओर से परिषद के प्रति उत्तरदायित्व के निर्वहन में पूर्ण विफलता का भी द्योतक है, जिसे किसी भी परिस्थिति में क्षम्य नहीं माना जा सकता।

4. आपके पत्र में यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि पुणे क्षेत्र में उच्च शुल्क संरचना के कारण छात्र प्रवेश संभव नहीं हो सका। परिषद इस तर्क को सर्वथा निराधार, भ्रामक एवं विधिक दृष्टि से अमान्य घोषित करती है। यह सुविदित है कि परिषद द्वारा निर्धारित शुल्क संरचना समस्त सम्बद्ध संस्थाओं के लिए एकसमान एवं पारदर्शी है तथा यही शुल्क संरचना सम्बद्धता प्रदान करते समय आपकी संस्था के समक्ष स्पष्ट रूप से अवगत कराई गई थी, जिसे आपकी संस्था ने तत्समय बिना किसी आपत्ति के स्वीकार किया था। अतः संबद्धता–पश्चात् शुल्क को आधार बनाकर प्रवेश न कराने का कोई भी तर्क परिषद के समक्ष ग्राह्य नहीं है। प्रवेश कराना संस्था का स्वयं का संवैधानिक दायित्व था, न कि परिषद की जिम्मेदारी।

5. आपके पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि आपने इस विषय में **श्री अभिषेक त्रिपाठी जी** से बारम्बार संपर्क किया, किन्तु उनके द्वारा कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। इस संदर्भ में परिषद यह स्पष्ट करना आवश्यक समझती है कि किसी व्यक्ति–विशेष से पत्राचार अथवा उनके द्वारा उत्तर न दिया जाना, संस्था को परिषद के नियमों एवं शर्तों के अनुपालन से कदापि मुक्त नहीं करता। सम्बद्धता की शर्तें संस्था एवं परिषद के मध्य विधिक अनुबंध का स्वरूप धारण करती हैं, जिनका अनुपालन प्रत्येक दशा में अनिवार्य है। यदि संस्था को परिषद के किसी प्रतिनिधि से उचित सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा था, तो उचित विधिक मार्ग यह था कि संस्था परिषद के सक्षम प्राधिकारी को लिखित में शिकायत दर्ज कराती – जो कि आपकी संस्था द्वारा कभी नहीं किया गया। अतः यह तर्क भी परिषद के समक्ष स्वीकार्य नहीं है।

6. आपके द्वारा संस्था के केंद्र को पुनः सक्रिय करने तथा न्यूनतम शुल्क पर प्रवेश की अनुमति देने का जो अनुरोध किया गया है, वह परिषद द्वारा पूर्णतः अस्वीकृत किया जाता है। चूँकि

सचिव / Secretary
लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय
कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद
Lal Bahadur Shastri Paramedical
Skill and Training Council

सत्य प्रतिलिपि / Verified Copy
परीक्षा नियंत्रक / Controller of Examination
लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद
Lal Bahadhur Shastri Paramedical Skill And Training Council
भारत / India - फोन नं० 4349311 / Ph. No. 4349311

संस्था की सम्बद्धता नियमों के उल्लंघन एवं अनुपालन–विफलता के आधार पर विधिवत् समाप्त की जा चुकी है, अतः **केंद्र कोड 0153** को पुनः किसी भी दशा में सक्रिय नहीं किया जाएगा। शुल्क में रियायत का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि परिषद की शुल्क संरचना नीति समस्त संस्थाओं हेतु एकसमान है एवं उसमें किसी विशेष संस्था के लिए किसी प्रकार की छूट का प्रावधान नहीं है।

उपर्युक्त समस्त तथ्यों, अभिलेखीय साक्ष्यों एवं संस्था की ओर से की गई घोर अनियमितताओं – यथा सम्बद्धता की संपूर्ण अवधि में शून्य नामांकन, वार्षिक नवीनीकरण में पूर्ण विफलता तथा परिषद के नियमों एवं शर्तों की सतत अवहेलना – को समग्र रूप से दृष्टिगत रखते हुए एवं परिषद के विनियमों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का विधिसम्मत प्रयोग करते हुए, परिषद की सक्षम प्राधिकारिणी ने यह सुचिंतित एवं अंतिम निर्णय लिया है कि आपकी संस्था **जयदीप नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट** की समस्त सम्बद्धता एवं मान्यता, इस पत्र की तिथि से तत्काल, स्थायी एवं अपरिवर्तनीय प्रभाव से विधिवत् समाप्त की जाती है। तदनुसार, आपकी संस्था को आवंटित **केंद्र कोडः– 0153** इस परिषद के समस्त अभिलेखों में स्थायी रूप से निष्क्रिय अंकित कर दिया गया है।

चूँकि आपकी संस्था की सम्बद्धता एवं मान्यता उपरोक्त विधिक आधारों पर विधिवत् एवं अंतिम रूप से समाप्त घोषित की जा चुकी है, अतः आपके द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक **21/03/2026** के माध्यम से प्रस्तुत समस्त अनुरोध–यथा संस्था के नाम एवं पते में परिवर्तन, नवीन प्राधिकरण पत्र का निर्गमन तथा शुल्क–रियायत की माँग–विधिक आधार पर पूर्णतः अस्वीकृत एवं अग्राह्य हैं। यह भी सुस्पष्ट किया जाता है कि निष्क्रिय केंद्र कोड 0153 के संदर्भ में भविष्य में किया गया कोई भी पत्राचार इस परिषद द्वारा अमान्य एवं अविचारणीय माना जाएगा तथा उस पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जाएगी।

यह पत्र सूचनार्थ, अभिलेखार्थ एवं तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाता है।

सचिव / Secretary
लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद
Lal Bahadur Shastri Paramedical Skill and Training Council

प्रतिलिपि सूचना हेतु

1. **अध्यक्ष महोदय**, लाल बहादुर शास्त्री पैरामेडिकल स्किल एंड ट्रेनिंग काउंसिल, नई दिल्ली–सूचनार्थ।
2. **परीक्षा विभागः**–शैक्षणिक प्रकोष्ठ–अभिलेख एवं अनुपालन हेतु।
3. **आई.टी. प्रकोष्ठ**–परिषद की वेबसाइट/पोर्टल पर अपलोड हेतु।
4. **कार्यालय अभिलेख।**

सत्य प्रतिलिपि / Verified Copy
परीक्षा नियंत्रक / Controller of Examination
लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद
Lal Bahadhur Shastri Paramedical Skill And Training Council
भारत / India - फोन नं० 4349311 / Ph. No. 4349311

APPROVED